

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

सूचना

1. आवेदन ऑनलाईन समर्पित कर कार्यालय में जमा करने की तिथि-16.05.2025 से 19.05.2025 (संध्या 04:30 बजे तक)।

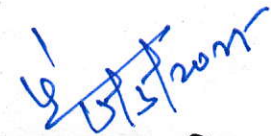
आवेदन परिवहन विभाग के बेवसाईट सिटिजन पोर्टल पर ऑनलाईन स्वीकृत किया जायेगा। विभाग द्वारा अधिसूचित मार्ग पर ही आवेदन करेंगे, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। समय सारणी 24 घंटे (रेलवे की समय सारणी के अनुरूप) के प्रारूप में होनी चाहिए।
(स्थायी, प्रतिहस्ताक्षर, नवीकरण एवं वाहन प्रतिस्थापन)

2. समय सारणी का प्रकाशन -20.05.2025
3. आपत्ति देने की तिथि -21.05.2025 (पू0 11:00 बजे से अप0 05:00 बजे तक)
4. प्राधिकार की बैठक की तिथि -29.05.2025 (गुरुवार) मध्यान् 12:00 बजे से।

नोट :- (1) प्राधिकार में समर्पित किये जाने वाले आवेदन पत्र विभागीय पत्रांक-5518, दिनांक-02.09.2021 में दिये गये निदेश के आलोक में पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से अंकित होना एवं आवेदन पत्र का सभी कॉलम भरा हुआ रहना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ जो शपथ पत्र दिया जाएगा, उसे विहित प्रपत्र में पूर्ण विवरण के साथ समर्पित करना होगा। साथ ही विभागीय निदेश के आलोक में सभी वांछित कागजातों को जमा करना होगा। आवेदन के साथ अद्यतन तीन वित्तीय वर्षों का आयकर एवं पेशाकर के भुगतान से संबंधित साक्ष्य एवं पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित करेंगे, अन्यथा आपके आवेदन पत्र पर बैठक में विचार नहीं किया जाएगा।

5. Online समर्पित आवेदन की एक प्रति व विहित प्रपत्र में (टंकित अथवा सुस्पष्ट अक्षरों में) समय सारणी एवं सभी वांछित अद्यतन कागजात, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि के साथ निर्धारित तिथि व समय तक कार्यालय में जमा किया जाना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। सभी वाहन स्वामी आवेदन/आपत्ति निर्धारित समयावधि में पंक्तिबद्ध होकर एवं शांति व्यवस्था को कायम रखते हुए कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
6. आपत्ति के साथ धारित परमिट (समय सारणी सहित) की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। आपत्ति से संबंधित साक्ष्य बैठक में ही उपलब्ध कराना आपत्तिकर्ता की जिम्मेवारी होगी अन्यथा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक आपत्ति हेतु आपत्ति शुल्क रु0 1000.00 जमा करनी होगी।
7. वाहन से संबंधित सभी मान्य कागजात अद्यतन नहीं रहने की स्थिति में आवेदन/आपत्ति पत्र को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. आवेदन पत्र/आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि को निर्धारित समय के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन/आपत्ति स्वीकार नहीं किये जाएँगे।
9. आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क एवं परमिट शुल्क दोनों एक ही साथ चालान के रूप में जमा करना होगा। आवेदक अपना ई-मेल एवं मोबाईल नं0 आवेदन पत्र में अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।

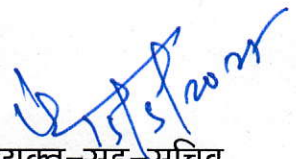
10. आवेदन पत्र में वर्णित मार्ग सरकार द्वारा अधिसूचित मार्ग के अनुरूप होनी चाहिए। आवेदन पत्र में अधिसूचित मार्ग की सं० दर्शाना होगा। साथ ही इसकी छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
11. बैठक की कार्यवाही के प्रकाशन के पश्चात् सभी स्वीकृत मामलों के वाहन स्वामी सभी वांछित कागजात एक माह के अन्दर जमा कर परमिट प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा वैसे सभी आवेदन स्वतः अस्वीकृत कर ऑनलाईन से हटा दिया जायेगा।
12. सभी आवेदनकर्ता/आपत्तिकर्ता/विद्वान अधिवक्ता बैठक के एक घंटा पूर्व कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।
13. 15 (पन्द्रह) वर्ष से अधिक आयु के वाहन का परमिट आवेदन/आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
14. ऑफलाईन परमिट के आधार पर किये गये आवेदन/आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
15. परमिट प्रदान करने संबंधी शर्तों पर बैठक के क्रम में आयुक्त-सह-अध्यक्ष महोदय द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य व सर्वोपरि होगा।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

ज्ञापांक -01-01/2025/परि०.....103....., दिनांक15.05...../2025

प्रतिलिपि -श्री नीरज कुमार, आई०टी० सहायक, आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर
को प्रमंडलीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।